APP-A
Crim-1

FORM NO III

अजमेर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आंशिक स्वीकार
रिमाण्ड
19/12/2018

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

हरजी पुत्र स्व. श्रीमाला बनाम बलदेव पुत्र स्व. श्रीमाला

जाति गुर्जर। जाति गुर्जर व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 366 सन् 18 (उ. अजमेर (आकस्मात))

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00366 श्री शौकिन्द लाल एड. अपील श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.12.18	यह अपील श्री शौकिन्द लाल गर्जर एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 18.10.2018, प्रकरण संख्या 41/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2875 रकबा 0.900 है0 जमाबंदी सम्वत 2074-2076 के अनुसार प्रार्थी/अपीलांट व अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजी हैं किन्तु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट, प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं एवं अपीलांट के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को जरिये निमार्ण कार्य नही करने हेतु पाबंद किया जावें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 26.10.2018 नियत की है तथा दिनांक 26.10.2018 को आगामी पेशी दिनांक 13.11.2018 नियत है एवं दिनांक 13.11. 2018 को आगामी पेशी दिनांक 20.12.2018 नियत कर दी हैं किन्तु प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश प्रदान नहीं किये। इसलिए अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही की गई, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट ने विवादित आराजी पर अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी उत्पन्न कर रहा हैं तथा भूमि को खुर्द-बुर्द कर रहा हैं तथा निर्माण कर भूमि की शक्ल परिवर्तन कर रहा हैं यदि रेस्पोडेन्टस उक्त कृत्य में	निरन्तर.......

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

P.T.O.

अजमेर

366 / 2018 / 225 हरजी बनाम बलदेव वगै०

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00366 श्री गोविन्दलाल गुर्जर, एड० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे ज़ारी हुए
निरन्तर	सफल हो जाता हैं तो अपीलांट का यह अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में निहित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर विवादित आराजी पर ताफैसला अपील मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010, उनवानी हुकुमसिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी.· 2011(01) पेज 152 के न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए, हम न्यायालय व पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का इसी स्तर पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, **प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनो पक्ष ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 2875 रकबा 0.2900 है0, खसरा नम्बर 2885 रकबा 0.4200 है. की मौके की यथास्थिति बनायी रखें एवं विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण करने हेतु रेस्पोडेन्टस पाबंद किया जाता हैं। अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	